भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4192
18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

एमपीएलएडी योजना में सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और सुधार

4192. श्री मनोज तिवारीः
श्री विजय बघेलः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय शासन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर सांख्यिकीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए कौन-कौन से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) सरकार का आगामी वर्षों में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के शासन ढांचे का किस प्रकार उन्नयन करने का विचार है;

(ग) क्या पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के निधि प्रवाह और कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) उप-योजना का अगला चरण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इसके प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) उप-योजना के अंतर्गत स्थानीय शासन को सहयोग देने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य एवं जिला स्तरीय सूचकांकों/संकेतकों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एमओएसपीआई उप-राष्ट्रीय स्तर के व्यापक आर्थिक संकेतकों के संकलन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन, समान दिशानिर्देशों के माध्यम से

तकनीकी सहायता प्रदान करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ तुलनीय अनुमानों पर संयुक्त चर्चा शामिल है। एमओएसपीआई ने प्रमुख सर्वेक्षणों के प्रतिदर्श डिजाइन को भी संशोधित करते हुए जिले को मूल स्तर के रूप में अपनाया, जिससे राज्यों को साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण के लिए प्रमुख संकेतकों के जिला स्तरीय अनुमान उत्पन्न करने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए), जो एमओएसपीआई के अंतर्गत एक प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सांख्यिकीय कर्मियों के क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल उपकरणों, डेटा विश्लेषण और डेटा संचालन सहित "आधिकारिक सांख्यिकी और संबंधित क्षेत्रों" पर नियमित आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

(ख): भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विधेयक, 2026 का मसौदा एक व्यापक नए कानून को पेश करने के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा विधान आईएसआई अधिनियम, 1959 को अन्य समकक्ष राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) / भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के शासी विधानों के स्तर तक उन्नत करना है, ताकि संस्थान की स्वायत्तता और जवाबदेही को बढ़ाकर उसकी संचालन रूपरेखा का आधुनिकीकरण और सुधार किया जा सके।

मसौदा विधेयक में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को एक निगमित निकाय के रूप में समाविष्ट करने का प्रावधान है और साथ ही प्रभावी संचालन के लिए वैधानिक निकायों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। शासी मंडल एक सशक्त और सुव्यवस्थित निकाय होगा जिसमें 11 सदस्य होंगे और आंतरिक और बाहरी सदस्यों का संतुलित प्रतिनिधित्व होगा। बोर्ड में सरकार द्वारा नामित केवल एक सदस्य होगा, पांच बाहरी विशेषज्ञ (अध्यक्ष सहित) और संस्थान के पांच आंतरिक सदस्य होंगे जिनमें शैक्षणिक परिषद के दो सदस्य शामिल होंगे। इससे संस्थान को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। मसौदा विधेयक उत्कृष्टता, प्रभावी संचालन, स्वायत्तता और जवाबदेही के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। कुल मिलाकर, उपर्युक्त प्रावधान भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) की संचालन रूपरेखा को सुदृढ़ और उन्नत बनाएंगे।

(ग) और (घ): व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, एमपीलैड योजना को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से एमपीलैड योजना के अंतर्गत मॉडल 2 के माध्यम से लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त,वित्त मंत्रालय के बाद के निर्देशों के अनुसार, 21 मई 2024 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत, एमपीलैड योजना को 1 अप्रैल 2025 से मॉडल-2 से मॉडल-1क (टीएसए हाइब्रिड) में रूपांतरित कर दिया गया। मॉडल-1क के तहत, एमपीलैड योजना की परियोजना प्रबंधन इकाई- केंद्रीय नोडल एजेंसी (पीएमयू-सीएनए) ने आरबीआई के साथ एक असाइनमेंट खाता खोला है, जो सीएनए के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) खाते से जुड़ा हुआ है। इस व्यवस्था के तहत, विक्रेताओं/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिन भर में प्रस्तुत किए गए समेकित दैनिक निधि बिल एसबीआई द्वारा तैयार किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भेजे जाते हैं। पीएफएमएस पर उस दिन की राशि की मंजूरी मिलने पर, आरबीआई के असाइनमेंट खाते से संबंधित धनराशि एसबीआई खाते में प्राप्त होती है, जिसे सीधे संबंधित विक्रेताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

संशोधित निधि प्रवाह प्रणाली के तहत, माननीय संसद सदस्यों के सभी स्वीकृत प्राधिकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में या उनके कार्यकाल के प्रारंभ में, जैसा भी लागू हो, एक साथ जारी किए जाते हैं। केवल स्वीकृत राशि ही सीएनए से कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित होती है, और विक्रेताओं को भुगतान सीधे "जस्ट-

इन-टाइम" आधार पर किया जाता है, जिससे निधियों के अवरुद्ध होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उपयोगिता प्रमाण पत्र और मासिक प्रगति रिपोर्ट जैसी पूर्व-शर्तों को हटा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप निधि प्रबंधन तेज और अधिक कुशल हो गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से एमपीलैड्स के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए ईसाक्षी पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल एमपीलैड्स निधियों के प्रबंधन में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसमें माननीय संसद सदस्यों की संस्तुतियाँ, जिला स्तरीय स्वीकृति और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन को निर्बाध रूप से समन्वित किया जाता है, जिससे सुचारू और कुशल कार्यप्रवाह सुनिश्चित होता है। डिजिटल प्रणाली में परिवर्तन से निधि जारी करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है,भौतिक खातों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, माननीय संसद सदस्यों और अन्य सभी हितधारकों को ऑनलाइन कार्यों की अनुशंसा करने, निगरानी करने और प्रबंधन करने की सुविधा मिली है, और सुरक्षित ओटीपी-आधारित सत्यापन प्रणाली लागू हो गई है। कार्यों और निधि उपयोगिता की वास्तविक समय ट्रैकिंग से पारदर्शिता और जवाबदेही के कार्यान्वयन को और मजबूती मिलती है।

(ड) एमओएसपीआई ने वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) उप-योजना सहित क्षमता विकास योजना के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन का मसौदा तैयार कर व्यय विभाग को प्रस्तुत कर दिया है। इस योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में आधुनिक डेटा प्रौद्योगिकियों को अपनाने, सांख्यिकी कर्मियों का क्षमता निर्माण करने और सुदृढ़ उप-राज्यीय संकेतकों का विकास करने सहित राज्य की सांख्यिकी प्रणालियों को सुदृढ़ करना शामिल है।
